2 Tourist Bungalow at Mathura.

3. Open-air theatre and wayside amentities at Ayodhya.

4. Development of Gautam Van at Bodhgaya

5 Toilet and Drinking water facilities at Bodhgaya.

In consultation with State Governments of U P and Bihar the following schemes were prioritised for Central financial assistance during 1990-91:-

1. Development of Abhishek Pushkarni (Vaishali)

2 Cottages at Vaishali

3 Cafeteria at Bodhgaya

4 Public conveniences at Vaishali and Bodhgaya

Cafeteria at Bodhgaya has been sanctioned for Rs 7 84 lakhs The projects for 1991-92 have yet to be formulated by the State Governments. Funds to be earmarked by Ministry of Tourism depends on the proposals received from State Governments

निर्माताओं द्वारा "अधिकतम खुदरा मूल्य-सभी करों सहित" छापा जाना

1050. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री अश्विनी कुमार :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 25 मई, 1990 को बाट और माप (डिब्बाबंद वस्तु) नियम 1977 मे संशोधन किया था और उसके आधार पर यह आदेश जारी किए थे कि सभी डिब्बाबंद वस्तुओं पर "अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित" शब्द अंकित किए जाने चाहिए ;

(ख) क्या यह भी सच है कि निर्माताओं और व्यापारियों की व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान मे रखते हुए सरकार ने पुराने पैकेटों को 30 नवम्बर, 1990 तक बेचे जाने की अनुमति दी थी, जिन पर ये शब्द अंकित थे–"स्थानीय कर अतिरिक्त" ;

(ग) क्या उन पुराने पैकेटों को खरीदने के लिए अभी भी उपभोक्ताओं को विवश किया जाता है, जिन पर "स्थानीय कर अतिरिक्त शब्द अंकित है" और इस प्रकार उपभोक्ताओं को ऐसी सभी वस्तुओं के लिए अतिरिक्त कर का भुगतान करना पड़ता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध मे अब तक की गई प्रभावी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) विनिर्माताओं/पैकरों की व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान मे रखते हुए, नियमों मे संशोधन करने वाली अधिसूचना मे 30 नवम्बर, 1990 तक विक्रय मूल्य के पहले के रूपों को छापने की अनुमति दी गई है। इसे देखते हुए, इस तारीख को अथवा इसके पूर्व बनाए गए पैकेजों, जिन पर पहले के रूपों के अनुसार विक्रय मूल्य घोषित हो, के कुछ समय तक बिक्री के लिए बाजार मे उपलब्ध रहने की संभावना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से, जो प्रवर्तन एजेंसियां हैं, अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि खुदरा विक्रेता स्थानीय करों के अलावा उपभोक्ताओं से अतिरिक्त राशि वसूल न करे।